न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 170/2023

मलकीत सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह जाति तरखान निवासी सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – **प्रार्थी**

–:: बनाम ::–

तेज सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री गुरचरण सिंह अधिवक्ता — प्रार्थी
2. अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 21.12.2025

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की माता श्रीमती सरजीत कौर पत्नी दयाल सिंह जाति तरखान निवासी गांव सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 30.12.2009 को कृषि भूमि वाके 8 बी बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या नया 58 पुराना 52, मुरब्बा नं. 26 के किला नं. 5 में 0.228 है0, किला नं. 6 में 0.253 है0, किला नं. 15 में 0.253 है0 कुल 0.734 है0 नहरी कृषि भूमि अप्रार्थी से खरीद की गई थी। जो कि अब प्रार्थी के नाम खाता संख्या 58/52 में दर्ज जमाबंदी है व अप्रार्थी के नाम चक 8 बी बडी के खाता संख्या 38/135 के मुरब्बा नं. 26 के किला नं. 16 व 25 में कुल 0.506 है0 रकबा दर्ज जमाबंदी है। मुरब्बा नं. 26 के साथ लगते रकबा चक 8 बी बड़ी के मुरब्बा नं. 37 के किला नं. 1 ता 5 की उत्तर दिशा में रास्ता स्वीकृत व मंजूरशुदा है। उक्त रकबा को रास्ता नही था इसलिये विक्रेता तेज सिंह द्वारा बैयनामा करवाते समय दिनांक 30.12.2009 को प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि को आने जाने के लिये चक 8 बी बडी के मुरब्बा नं. 26 के किला नं. 16 व किला नं. 25 के पश्चिम दिशा में 10–10 फुट रास्ता दिया गया था, जिसके संबंध में तेज सिंह द्वारा शपथ पत्र भी लिखकर दिया गया है, अब उक्त रास्ता से आने जाने से रोका जा रहा है जबकि प्रार्थी को रास्ता की अत्यंत आवश्यक है क्योकि अन्य कोई मंजूदशुदा रास्ता प्रार्थी के उक्त रकबा को नही है प्रार्थी को चक 8 बी बडी के मुरब्बा नं 26 के किला नं. 16 व 25 के पूर्व दिशा में 2–2 बिस्वा रास्ता को मंजूर करवाना चाहता है और राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। क्योकि उससे आगे चक 8 बी बड़ी के मुरब्बा नं. 37 के किला नं. 1 ता 5 की उत्तर दिशा में रास्ता स्वीकृत है। उक्त रकबा श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में आता है व उचित कोर्ट फीस पर प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने के लिये चक 8 बी बड़ी के मुरब्बा नं. 26 के किला नं. 16 व किला नं. 25 के पूर्व दिशा में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने का आदेश दिया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी को नोटिस से विधिवत तामील होने एवं अप्रार्थी के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार श्रीगंगानगर से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक 1381 दिनांक 12.09.2023 के मौका रिपोर्ट पेश की गई।

– :: आदेश ::–

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए. एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "वैकल्पिक रास्ते का अभाव" एवं "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" के बिन्दुओं पर विचारण किया गया। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायिक दृष्टि से आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 8 बी बड़ी के मुरब्बा नं. 26 के किला नं. 16 व किला नं. 25 के पूर्व दिशा में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

प्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमि के बदले मुआवजा स्वरूप डी.एल.सी. दर दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाए जाने के उपरान्त तहसीलदार राजस्व अभिलेख में रास्ता का अंकन करे एवम् सम्बंधित काश्तकार को अपने स्तर पर राशि का वितरण करना सुनिश्चित करे।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, की उक्तानुसार रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 21.12.2025 को जारी किया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

(नयन गौतम) आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन सहायक कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर